राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 127/2019

ज्ञानेन्द्र सिंह राठौड़ **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, लालकोठी, जयपुर।
3. पुलिस महानिरीक्षक, उदयपुर रेंज, उदयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, राजसमंद, जिला राजसमंद।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.02.2019

आदेश की दिनांक : 17.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुभाष बिसवा दाधीच, अभिभाषक

प्रत्यर्थीगण की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान दिनांक 19.08.2005 एवं द्वितीय चयनित वेतनमान दिनांक 19.08.2014 से मय ब्याज सहित दिलाए जाने का आदेश फरमाया जावे तथा उसकी पदोन्नति पर भी विचार किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के समान प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा डी.बी.सिविल स्पेशल अपील संख्या 356/2014 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम रामचन्द्र मीणा डब्ल्यू.एल.सी. (यू.सी.) 2015 पेज 798 जिसमें चयनित वेतनमान का लाभ एवं पदोन्नति का लाभ मामूली दण्ड के आधार पर नहीं रोका जाना बताया गया है।

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केरला राज्य व अन्य बनाम एन.एम. थोमस व अन्य में ए.आई.आर. 1976 एस.सी. पेज 490 वाले प्रकरण में भी पदोन्नति एवं वरिष्ठता को रोका जाना अयुक्तियुक्त माना है। विभाग द्वारा पदोन्नति के स्थान पर कार्मिक को 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया है, परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी के साथ चयनित वेतनमानों का लाभ नियमानुसार नहीं दिया गया है। अपीलार्थी उप निरीक्षक के पद पर नियम, 1989 के अंतर्गत नियुक्त हुआ था और 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अपीलार्थी को न तो पदोन्नति प्रदान की गई और न ही चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। जबकि अपीलार्थी परिपत्र दिनांक 25.01.1992 के आधार पर प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 07.12.2007 के द्वारा पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 16.08.2005 के द्वारा मामूली दण्ड के आधार पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई और इसी प्रकार दिनांक 18.08.2014 को अपीलार्थी की 18 वर्ष की सेवाएं पूर्ण होने पर विभाग द्वारा कोई पदोन्नति नहीं दी गई और न ही चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। अपीलार्थी ने उक्त संबंध में विभाग को कई अभ्यावेदन दिए, परंतु उनका कोई निराकरण नहीं किया गया। उनका कथन है कि मामूली दण्ड के आधार पर कार्मिकों की पदोन्नति आदि को नहीं रोका जा सकता और न ही चयनित वेतनमान का लाभ दिए जाने से इनकार किया जा सकता है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान दिनांक 19.08.2005 एवं द्वितीय चयनित वेतनमान दिनांक 19.08.2014 से मय ब्याज सहित दिलाए जाने का आदेश फरमाया जावे तथा उसकी पदोन्नति पर भी विचार किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति अगस्त, 1996 में उप निरीक्षक के पद पर एवं दिसम्बर, 2017 में पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हुई। अपीलार्थी को 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम चयनित वेतनमान दिनांक 16.08.2005 को एक वार्षिक वेतन वृद्धि बिना भावी व दिनांक 30.09.2005 से परिनिंदा से दिनांक 10.10.2005 से परिनिंदा का दण्ड मिलने से उक्त प्रभाव से अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान दिनांक 19.08.2008 को देय होना था। जबकि अपीलार्थी उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दिनांक 14.12.2007

को पदस्थापित होने से समयावधि पूर्व ही दे दी गई। जबकि 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय चयनित वेतनमान अगस्त, 2014 को देय होता है। किंतु इस अवधि में एक वेतन वृद्धि बिना भावी प्रभाव के व 2 परिनिंदा की सजा होने से वित्त विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 31.12.2009 के अनुसार उक्त सजाओं का प्रभाव सभी चयन वेतनमान पर दिए जाने का प्रावधान किए जाने से इनकों 3 वर्ष आगे बढाए जाने पर 18 वर्ष की द्वितीय चयनित वेतनमान दिनांक 19.08.2017 को देय होती है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी उप निरीक्षक के पद पर नियम, 1989 के अंतर्गत नियुक्त हुआ था और उसे आदेश दिनांक 07.12.2007 के द्वारा पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 16.08.2005 के द्वारा बिना भावी परिनिंदा के दण्ड के आधार पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई और दिनांक 18.08.2014 को अपीलार्थी की 18 वर्ष की सेवाएं पूर्ण होने पर विभाग द्वारा कोई पदोन्नति नहीं दी गई और न ही चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। जहां तक अपीलार्थी को दिनांक 19.08.2005 से प्रथम चयनित वेतनमान एवं दिनांक 19.08.2014 से द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिए जाने का प्रश्न है, हमारे मत में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.01.1992 के अनुसार पद रिक्त न होने पर पदोन्नति न मिलने के स्थान पर चयनित वेतनमान का लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया है। चूंकि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पुलिस उप निरीक्षक के पद पर अगस्त, 1996 में हुई थी और इस प्रकार वह अगस्त, 2005 में प्रथम चयनित वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी था। परंतु एक वार्षिक वेतन वृद्धि बिना भावी व दिनांक 30.09.2005 से परिनिंदा से दिनांक 10.10.2005 से परिनिंदा का दण्ड मिलने से उक्त प्रभाव से अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान दिनांक 19.08.2008 को देय होना था। जबकि अपीलार्थी पुलिस उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दिनांक 14.12.2007 को पदोन्नति दे दी गई और 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय चयनित वेतनमान अगस्त, 2014 को देय होता है। इस अवधि में एक वेतन वृद्धि बिना भावी प्रभाव के व 2 परिनिंदा की सजा होने से वित्त विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 31.12.2009 के अनुसार 3 वर्ष आगे बढाए जाने पर 18 वर्ष की द्वितीय चयनित वेतनमान दिनांक 19.08.2017 को देय होती है। इस प्रकार अपीलार्थी के

दोनों तर्कों में हम कोई बल नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य